43

संख्या– /XVIII(II)/2015–02(01)/2010

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

विषय– जनपद ऊधमसिंहनगर में पुनर्वास योजना के अधीन विस्थापित होकर आये परिवारों को आवंटित भूमि पर मूल पट्टेधारकों तथा काबिज पट्टेधारकों को भूमिधरी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय अधिसूचना संख्या–36/XXVI(III)/2014/11(1)/2014 दिनांक–27.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्न प्राविधान किये गये हैं :–

1. अधिनियम की धारा 2(1)(छ) के द्वारा भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत, जिला पुनर्वास कार्यालय बरेली, द्वारा पट्टे पर आवंटित समस्त भूमि को गैर जमींदारी विनाश भूमि से अधिनियम का प्रसार कर जमींदारी विनाश भूमि में परिवर्तित किया गया।
2. अधिनियम में नई उप धारा–130(घ) जोडकर पुनर्वास योजना के अंतर्गत 1980 से पूर्व आवंटित पट्टो के मूल पट्टाधारकों तथा मूल पट्टाधारकों की सहमति से दिनांक–09.11.2000 तक ऐसी पट्टाग्रस्त भूमि पर काबिज कब्जेदारों को वर्ष 2013 की सर्किल दरों के आधार पर आंकलित नजराना जमा कराकर संक्रमणीय अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः उपरोक्त श्रेणी के पट्टाधारकों तथा कब्जाधारकों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने हेतु समयबद्ध आधार पर कार्यवाही की जाए, इस संबंध में हुई प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाए।

2– ऐसी पट्टाग्रस्त भूमि, जिसमें मूल पट्टेदार व कब्जेदार के मध्य विवाद है अथवा कब्जेदार गम्भीर अविधिक रूप से या मूल पट्टेदार के साथ विवाद के बावजूद काबिज है, के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा केस टू केस बेसिस पर विवाद के इन मामलों की सुनवाई की व्यवस्था की जाए, सुनवाई के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट आदेशों के माध्यम से संक्रमणीय अधिकार किस पक्ष में होंगे, इसका निर्धारण किया जाए तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में इंद्राज किया जाए। विवाद ग्रस्त मामलों में सुनवाई के उपरांत यदि कोई कठिनाईयां आती हैं तब ऐसे मामलें अभिलेखों सहित राजस्व परिषद को संदर्भित किये जायेंगे तथा इन पर यथा आवश्यकता शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए तथा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

.....2

संख्या– 7043 (1)/XVIII(II)/2015 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।